न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-125RAAJodhpur2023-65RTA225 Babulal Vs JDA Jodhpur etc

बाबूलाल परिहार पुत्र स्व. अणदाराम जी परिहार, जाति माली, निवासी- खेमे का कुंआ, पालरोड़, जोधपुर{राजस्थान}।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये उपायुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर{दक्षिण}
02. नगर निगम जोधपुर{दक्षिण} जरिये आयुक्त, जोधपुर।
03. तहसीलदार{पश्चिम} जोधपुर विकास, प्राधिकरण, जोधपुर।
04. मुन्नालाल पुत्र स्व. अणदाराम जी परिहार, निवासी- 6 नंबर पम्पिंग स्टेशन श्री अणदाराम स्कूल के सामने, जोधपुर{राजस्थान}

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 16 मार्च 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर{दक्षिण} राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 384/2022 बाबुलाल बनाम जेडीए जोधपुर इत्यादि

उपस्थित-

श्री जे.गहलोत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री कमलेश राठौड़, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन
श्री अक्षय दवे, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 31 जुलाई 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर{दक्षिण} द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 384/2022 अनवान बाबुलाल बनाम जेडीए जोधपुर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 16 मार्च

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 27 मार्च 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 96 व 87 ग्राम चौपासनी जागीर तहसील जोधपुर के संबंध धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की, जिससे व्यथित होकर ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने बावजूद भी जानबूझकर कोई आदेश पारित नहीं किया है तथा न ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का समग्र रूप से अवलोकन किया है। अपीलांट द्वारा दिनांक 16.03.2023 को प्रार्थना पत्र वास्ते अंतरिम स्थगन आदेश प्रदान करने हेतु अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक से तीन को पाबंद किया जावे कि वे खसरा नं. 87 व 96 की कृषि भूमि में किसी भी व्यक्ति को पट्टे जारी नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया एवं न ही इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का 3 माह की अवधि के भीतर कर देना चाहिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जो आज्ञापक प्रावधान है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक मामले का निस्तारण नहीं किया गया।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जावे। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में ए.आई.आर.2019 बोम्बे पेज 1 की न्यायिक नजीर पेश की।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। अपीलांट द्वारा ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील पेश की गयी है, जो पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने/दौर पर होने/दीगर राज कार्यो में व्यस्त होने की मुहर लगा कर लिखा गया है तथा उक्त मोहर के साथ पेन से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया जाना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश चुनौती योग्य नहीं माना जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलांट को ही एकपक्षीय सुनकर आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है। जब अप्रार्थीगण मामले में उपस्थित हो गये हो तो उन्हें सुने बिना कानूनन कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अपीलांट द्वारा जिस आदेश को न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौती दी गई है वो आदेश मोहर से अंकित किया गया है तथा मोहर में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर है/दौरे पर है/दीगर राज कार्यो में व्यस्त है, इत्यादि अंकित है तथा उक्त पेशी पर पेन से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल किया जाना लिखा गया है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा विद्वान रेस्पोडेंट अधिवक्ता के तर्क से सहमत है कि उक्त आदेश को चुनौती योग्य नहीं माना जा सकता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में उद्धरित है कि अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय है, किंतु हस्तगत मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश की श्रेणी में नही होने से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत मामले में लागू नहीं होता है।

हस्तगत प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। इसलिए मामले के अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10 अगस्त 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.07.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर